कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

<u>प्रेस नोट</u>

दिनांक-06.05.2025

विषय:- जानलेवा हमला करने के मामले मे वांछित अभियुक्त कुलदीप यादव उर्फ कल्लू को थाना मण्डुवाडीह पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे, श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व में थाना मण्डुवाडीह पुलिस टीम द्वारा **"ऑपरेशन चक्रव्यूह"** के तहत मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-115/25 धारा 115(2),352,351(3),191(2),109(1) बी0एन0एस0 व बढोत्तरी धारा 190 बी0एन0एस0 थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी से सम्बन्धित नामजद वांछित अभियुक्त 01- कुलदीप यादव उर्फ कल्लू पुत्र स्व0 छंगा यादव निवासी उत्तरी ककरमत्ता थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी को आज दिनांक-06.05.25 को समय करीब 13.20 बजे बनारस रेलवे स्टेशन के पीछे प्लेटफार्म नम्बर-08 के सामने बने पार्किंग से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>घटना का विवरण-</u> दिनांक 05.05.2025 को वादी मुकदमा/प्रार्थी ने विपक्षीगण द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने की नियत से लात-घूसे,रॉड,चाकू से लैस होकर बुरी तरह से सिर व शरीर पर मार कर गम्भीर चोट पहुँचाकर प्रार्थी के लड़कों को मरणासन्न अवस्था में कर देने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना मण्डुवाडीह में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 राज दर्पण तिवारी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

<u>अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-</u> अभियुक्त कुलदीप यादव उर्फ कल्लू ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरा अपने सगे भाई अजीत यादव से पहले से ही हिस्सेदारी/बटवारे को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद को लेकर करीब एक महीना पहले अजीत यादव के लड़के मेरे लड़कों को मारे-पीटे थे, जिसके संबंध में मैंने थाना मण्डुवाडीह पर एक एन0सी0आर0 लिखवाया था, जिसको लेकर अजीत यादव के लडके मुझे व मेरे लडकों को अक्सर कहते थे कि इस बार तो कम मारे हैं लेकिन अगली बार ठीक से मारेंगे। यह बात जब भी वो लोग हम लोगों के सामने आते थे तब-तब कहते थे। हमलोग उनकी इन धमकियों से अजीज आ गए थे। हमें जानकारी थी कि अजीत के दोनों लड़के अपने मकान की छत पर सोते हैं। तो मैंने अपने लड़कों, भतीजे तथा अपने किराएदार के साथ मिलकर दिनांक-05.05.2025 की रात में सोते समय चाकू,लाठी,रॉड से हमला कर दिया था। आज मैं छिप कर रेलवे स्टेशन बनारस से इलाहाबाद जाने की फिराक में था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

कुलदीप यादव उर्फ कल्लू पुत्र स्व0 छंगा यादव निवासी उत्तरी ककरमत्ता थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी, उम्र 52 वर्ष।

गिरफ्तारी दिनांक, समय व स्थान-

दिनांक-06.05.25 को समय करीब 13.20 बजे, बनारस रेलवे स्टेशन के पीछे प्लेटफार्म नम्बर-08 के सामने बने पार्किंग से।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 115/25 धारा 115(2)/352/351(3)191(2)/109(1)/190 बी0एन0एस0 थाना मण्डुवाडीह कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 भरत उपाध्याय थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 राज दर्पण तिवारी थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।
3. हे0का0 केशव प्रसाद थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 शिवराम थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी